कार्यालय अंचल अधिकारी, बेंगाबाद

ई–मेल:– circlebengabad@gmail.com

वाद का प्रकार:– अवैध / संदेहास्पद जमाबंदी

वाद संख्या :– 01 / 2020–21

थाम्भी पंडित एवं अन्य ग्रामीण
ग्राम– नईटांड़
बनाम्
ठाकुर पंडित एवं अन्य
पिता– बन्धु पंडित
ग्राम– नईटांड

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कार्रवाई
14/5/2020	आवेदक थाम्भी पंडित एवं अन्य ग्राम– नईटांड के द्वारा प्राप्त आवेदन तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 542 / सा0, दिनांक 23.05.2020 के आलोक में इस अभिलेख की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। आवेदक सहदेव पंडित एवं अन्य ग्रामीण, ग्राम– नईटांड, पंचायत– ताराटांड़ द्वारा प्राप्त आवेदन में ग्राम– नईटांड खाता सं0 16, प्लॉट नं0 111, रकवा 0.60ए0 जमीन सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास किस्म जमीन परती कदीम दर्ज है, जिस पर पी0सी0सी0 पथ बना हुआ है। भूमि पर ठाकुर पंडित वगैरह, पिता– बन्धु पंडित द्वारा ईंट का दिवाल देकर पी0सी0सी0 रोड को अतिक्रमण कर लिया गया है। उक्त आवेदन के अनुसार राजस्व उप–निरीक्षक से स्थल जाँच प्रतिवेदन राजस्व कागजातों से मिलान कर मांगे एवं दोनों पक्षकारों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 03.06.2020 को रखें। 14/5/2020 अंचल अधिकारी, बेंगाबाद।	
3/6/2020	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त दोनों पक्षकारों अपना–अपना दावा से संबंधित कागजात के साथ उपस्थित। श्री ठाकुर पंडित वगैरह द्वारा अपने उपस्थिति हेतु आवेदन के साथ सादा हुकुमनामा जो बन्धु कुम्हार वल्द गीरधारी कुम्हार मौजा– नईटांड, खाता नं0 16, प्लॉट 111, रकवा 2.00ए0 का प्रस्तुत किया है, साथ ही लगान रसीद वर्ष 1972–73 का दिया गया है। Online पंजी–।। से मिलान करने पर उक्त हुकुमनामा वो रसीद की जमाबंदी कायम नही है। सहदेव पंडित वगैरह द्वारा उक्त खाता, प्लॉट में कुंज बिहारी पंडित वगैरह के नाम से खाता नं0 16 / 42 प्लॉट नं0 111	

रकवा 0.60ए0 लगान रसीद संख्या 3365685 दिनांक 13.12.2008 एवं 578561 दिनांक 23.02.2011 यथारूप प्रति प्रस्तुत किये हैं।

उक्त निर्धारित तिथि के पूर्व राजस्व उप–निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा उक्त मौजा से संबंधित खाता नं0 16 प्लॉट नं0 111 रकवा 0.60ए0 भूमि का जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जो प्रतिवेदनुसार सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास किस्म भूमि परती कदीम दर्ज है, जिसका जमाबंदी कुंज बिहारी पंडित वगैरह के नाम से पंजी–।। के जिल्द सं0 3 पृष्ठ सं0 166 पर दर्ज है। उक्त जाँच प्रतिवेदन को अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि सर्वेनुसार गैरमजरूआ खास खाते किस्म भूमि परती कदीम दर्ज है तथा कायम जमाबंदी अवैध/संदेहास्पद प्रतित होता है।

अतः राजस्व उप–निरीक्षक से बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी करने हेतु विहित प्रपत्र में प्रस्ताव की मांग करें।

अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन अप्राप्त। मांग करें अभिलेख दिनांक 15.07.2020 को रखें।

अंचल अधिकारी,
बेंगाबाद।

15/7/2020

राजस्व उप–निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी रद्द करने हेतु अनुशंसा विहित प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	भूमि सर्वेनुसार	भूमि किस्म
नईटांड़	36	16/42	111	0.60ए0	गैरमजरूआ खास	परतीकदीम

उक्त खाता, प्लॉट की भूमि का जमाबंदी पंजी–।। के जिल्द सं0 III पृष्ठ सं0 166 पर बैगर सक्षम प्राधिकार के आदेश की जमाबंदी कायम करना एवं सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास किस्म भूमि परती कदीम दर्ज रहने के कारण राजस्व उप–निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रस्ताव पर दर्ज मंतव्य को अभिलेख में संलग्न कर बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत कायम अवैध जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

अंचल अधिकारी,
बेंगाबाद।